R.1400-III/05

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, सागर

1. शिब्बू यादव तनय नारायणदास यादव,
2. बृज किशोर तनय नारायणदास यादव,
3. देवसिंह तनय नारायणदास यादव,
4. हरिश्चंद्र तनय नारायणदास यादव,
5. भूपराम तनय नारायणदास यादव,
6. सूरज सिंह तनय नारायणदास यादव,

सभी निवासी- ग्राम जोरन, तह. नौगाव,
व जिला छतरपुर (म. प्र.) -- रिवीजनकर्तागण

विरूद्ध

1. म. प्र. शासन,
2. गुलाब तनय छोटेलाल अहीर निवासी ग्राम जोरन,
3. जागेश्वर यादव तनय कटारे यादव साकिन जोरन,

तहसील नौगांव जिला-छतरपुर (म. प्र.)

— अनावेदकगण

36 17/8/05

(9)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. .K-.1400.|III|05. . . . . जिला . . .छतरपुर. . . . . . .

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-1-16	1— मैनं प्रकरण का आवलोकन किया एंव आवेदकगण के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 414/अ—19/05—6 मे पारित आदेश दिनांक 11/5/05 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदकगण की ओर तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 165(7) ख, के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता है, परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। 3— आवेदकगण की ओर से तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में पट्टैदार को दिनांक 4/10/89 को ग्राम जोरन स्थित भूमि खसरा क्रमांक 61/1/क में से रकवा 2.000हे भूमि दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत प्रदाय किया गया था तथां उसे भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किए गए थे जिसे आवेदकगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7/4/1997 से भूमि क्रय की है। जिस कारण से अपर आयुक्त सागर संभाग सागर एंव अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यह भी तर्क किया है कि पट्टैदार को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि विक्रय की गयी थी जिसका नामांतरण भी क्रेता आवेदकगण के पक्ष में हो गया था। ऐंसी स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है, जैसा कि रे.नि. 2004 पृष्ठ 183 दयाली तथा 1 अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई व अन्य में भी मान्य किया गया है कि, धारा 165(7—ख)— सरकारी पट्टेदार द्वारा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमि स्वामी अधिकार अर्जित—भूमि का विक्रय कर सकता है— कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं। इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीन एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आधुनिक गृह निमार्ण सहकारी समिति मर्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य में मान्य किया है। जो इस प्रकरण में प्रभावशील है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	11 वर्ष पूर्व किये गये विक्रय पत्र का शून्य किये जाने बावत् कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। व राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस. एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। उपरोक्त उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत उच्च न्यायालय रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदकगण को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 11–05–2005 एंव अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–02 निरस्त करने का अनुरोध किया है। 5– मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1989 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 1997 में किया गया है। जो लगभग 10 वर्ष पश्चात् किया गया है ऐंसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर एंव अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 11–5–05 एंव अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–2002 निरस्त किया जाकर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में पूर्ववत् दर्ज किया जाये, तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	